करिना दुकान में टॉफी के साथ बकि रहा था गांजा और बीयर, पुलसि का छापा!

वषिय सूची (Table of Contents):

>> हसिुआ के तरौनी गांव में नशीले पदार्थों के खलिाफ पुलसि की बड़ी कार्रवाई...
>> नशा मुक्त समाज की दशिा में कदम...
>> करिना दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का अवैध कारोबार...
>> अवैध व्यापार का पर्दाफाश...
>> गुप्त सूचना पर प्रभारी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में त्वरति छापेमारी...
>> छापेमारी का अचूक प्लान...
>> भारी मात्रा में 1.8 कलिो गांजा और 12.5 लीटर बीयर की बरामदगी...
>> जब्त कएि गए सामान का ववरिण...
>> बच्चों के टॉफी-बस्कुिट के साथ छपिाकर बेचा जा रहा था मादक पदार्थ...
>> मासूमों की जदिगी से खलिवाड़...
>> पुलसि ने शातरि दुकान संचालक वकिास कुमार को रंगे हाथ कयिा गरिफ्तार...
>> आरोपी का पछिला रकिॉर्ड...
>> उत्पाद अधनियिम के तहत एफआईआर दर्ज, आरोपी न्यायकि हरिासत में...
>> आगे की कानूनी प्रक्रयिा...
>> नष्किर्ष...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

हसिुआ के तरौनी गांव में नशीले पदार्थों के खलिाफ पुलसि की बड़

बहिार के हसिुआ नगर परषिद क्षेत्र से नशे के खलिाफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पुलसि ने तरौनी गांव में मादक पदार्थों के खलिाफ एक कड़ी और सफल छापेमारी को अंजाम दयिा है।latest update 2026के अनुसार, इस इलाके में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बक्रिी की जा रही थी, जसि पर पुलसि ने नकेल कसी है।

समाज में फैल रहे इस जहर को रोकने के लएि पुलसि लगातार सघन अभयिान चला रही है। ताजा मामले में एक करिना दुकान से भारी मात्रा में गांजा और बीयर बरामद कयिा गया है। पुलसि ने त्वरति कार्रवाई करते हुए मौके से ही मुख्य आरोपी को धर दबोचा है।

नशा मुक्त समाज की दशिा में कदम

प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया है। नागरिक अब राहत महसूस कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में नशे के खिलाफ इतनी सख्ती बरती जा रही है। आप पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर इस पूरी कार्रवाई का status check कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: 6 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा दिन! करियर, रिश्ते और लाभ के योग

किराना दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का अवैध कारोबार

अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं। हसिुआ के तरौनी गांव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक आम सी दिखने वाली किराना दुकान की आड़ में मौत का सामान बेचा जा रहा था। यह एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला है।

दुकानदार रोजमर्रा का सामान बेचने का दिखावा करता था। इसके पीछे वह युवाओं और स्थानीय लोगों को गांजा और शराब जैसी चीजें ऊंचे दामों पर सप्लाई कर रहा था। इस सफेदपोश धंधे ने पूरे इलाके का माहौल खराब कर दिया था।

अवैध व्यापार का पर्दाफाश

ग्रामीणों को शक तो था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण सब खामोश थे। अब पुलिस ने इस काले धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस उन सभी ग्राहकों की list तैयार कर रही है जो नियमित रूप से यहां आते थे।

गुप्त सूचना पर प्रभारी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में त्वरित छा

इस बड़ी सफलता के पीछे पुलिस के सूचना तंत्र का अहम योगदान रहा है। पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि तिरौनी गांव की एक विशिष्ट दुकान में गैरकानूनी गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं। इस इनपुट को पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया।

सूचना मिलते ही प्रभारी थाना अध्यक्ष परदेसी कुमार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। बिना कोई समय गंवाए, पुलिस टीम ने पूरी योजना के साथ संबंधित दुकान की घेराबंदी कर ली। पुलिस की इस तत्परता ने आरोपी को भागने का कोई मौका नहीं दिया।

छापेमारी का अचूक प्लान

परदेसी कुमार ने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से सबूत नष्ट न होने पाएं। पुलिस ने अचानक दबिश दी, जिससे

दुकानदार हड़बड़ा गया। इस पूरी कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्टPDFफॉर्मेट में वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है।

यह भी पढ़ें: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 जारी अभी रोल नंबर डालें, परिणाम देखें और टॉप 1% में शामिल हों!

भारी मात्रा में 1.8 किलो गांजा और 12.5 लीटर बीयर की बरामदगी

जब पुलिस ने दुकान की तलाशी लेनी शुरू की, तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। काउंटर और बोरियों के पीछे अवैध सामान का जखीरा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने एक-एक कोने की बारीकी से जांच की।

सघन तलाशी के दौरान पुलिस को दुकान से 1.8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा 12.5 लीटर बीयर (कैन बीयर) भी बिक्री के लिए छिपाकर रखी गई थी। बिहार जैसे ड्राई स्टेट में शराब और गांजे की इतनी बड़ी खेप मिलना एक संगीन अपराध है।

जब्त किए गए सामान का विवरण

>> गांजा:1.8 किलोग्राम (उच्च गुणवत्ता का मादक पदार्थ)

>> शराब:12.5 लीटर कैन बीयर

>> अन्य सामग्री:पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे पाउच

बच्चों के टॉफी-बिस्किुट के साथ छिपाकर बेचा जा रहा था मादक पदा

इस मामले का सबसे खौफनाक और शर्मनाक पहलू यह था कि नशीले पदार्थों को मासूम बच्चों के सामान के साथ रखा गया था। दुकानदार ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए गांजा और बीयर को टॉफी और बिस्किुट के डिब्बों के बीच छिपा रखा था।

करिाना दुकान होने के कारण वहां अक्सर छोटे बच्चे चॉकलेट और बिस्किुट लेने आते थे। बच्चों के सामान के पास इस तरह के घातक नशे का रखा जाना समाज के लिए एक बड़ा खतरा था। इस खुलासे के बाद स्थानीय अभिभावकों में भारी रोष है।

मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़

दुकानदार का यह तरीका न केवल गैरकानूनी था, बल्कि नैतिक रूप से भी पूरी तरह पतन का संकेत है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस नशे की लत में नाबालिग बच्चों को तो नहीं धकेला जा रहा था।

यह भी पढ़ें:UP SI Exam 2026: 2 घंटे पहले जाना होगा सेंटर! आधार नंबर पर आया बड़ा अपडेट

पुलिस ने शातिर दुकान संचालक विकास कुमार को रंगे हाथ किया गिरि

दुकान से गांजा और बीयर बरामद होते ही पुलिस ने बिना कोई देरी किए दुकान के संचालक को मौके से ही धर दबोचा। आरोपी की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसके पास बचाव का कोई तर्क नहीं बचा था।

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि गिरिफ्तार आरोपी विकास कुमार, पिता राजेंद्र सिंह का पुत्र है। वह मूल रूप से बगोदर इलाके का रहने वाला है, लेकिन हिसुआ के तिरौनी में रहकर यह काला कारोबार चला रहा था। वह काफी लंबे समय से इस अवैध धंधे में संलिप्त था।

आरोपी का पिछला रिकॉर्ड

पुलिस अब विकास कुमार के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। वह मादक पदार्थ कहाँ से लाता था और उसकी सप्लाई चेन में कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस उसके साथियों की भीlistतैयार कर रही है।

उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज, आरोपी न्यायिक हिरासत में

प्रभारी थाना अध्यक्ष परदेसी कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई यह छापेमारी पूरी तरह सफल रही। गिरिफ्तार युवक के खिलाफ बिहार के सख्त उत्पाद अधिनियम (Excise Act) और एनडीपीएस (NDPS) से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।

FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास कुमार को कागजी कार्रवाई पूरी करके व्यवहार न्यायालय (Civil Court) में पेश किया। अदालत के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत (Jail) में भेज दिया गया है। आप कोर्ट की वेबसाइट पर केस काstatus checkकर सकते हैं।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अवैध नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लोग इस तरह की घटनाओं की शिकायत के लिए पुलिस पोर्टल परapply onlineभी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हिसुआ के तरौनी गांव में हुई यह गिरफ्तारी साबित करती है कि बिहार पुलिस मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किराना दुकान जैसी जगह का इस्तेमाल नशे के लिए होना एक चिंता का विषय है, लेकिन थाना प्रभारी परदेसी कुमार की सतर्कता ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। समाज के हर नागरिक को जागरूक होना होगा ताकि ऐसे अपराधी हमारे आस-पास न पनप सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यह छापेमारी हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के तरौनी गांव में स्थित एक किराना दुकान में की गई।

पुलिस ने दुकान से 1.8 किलोग्राम गांजा और 12.5 लीटर कैन बीयर बरामद किया है।

पुलिस ने मौके से दुकान संचालक विकास कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

दुकानदार पुलिस से बचने के लिए गांजा और बीयर को बच्चों के टॉफी और बिस्कुट के डिब्बों के बीच छिपाकर रखता था।

इस सफल छापेमारी का नेतृत्व हिसुआ के प्रभारी थाना अध्यक्ष परदेसी कुमार ने किया।

गिरफ्तार आरोपी विकास कुमार (पिता राजेंद्र सिंह) मूल रूप से बगोदर का निवासी है।

पुलिस को एक गुप्त मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि तिरौनी की एक दुकान में अवैध नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं।

आरोपी विकास कुमार के खिलाफ बिहार उत्पाद अधिनियम (Excise Act) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पुलिस आरोपी के अन्य साथियों और सप्लायर्स की सूची (list) तैयार कर रही है ताकि इस पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके।